फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता श्री हीरालाल बैरवा निवासी राजपुरा दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 01/2019**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.02.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः–प.1( )सू0अ0,05/2018/93–94 दिनांक 25.01.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2018 से चाही गयी वांछित सूचना का आवेदन इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 12.12.18 को प्राप्त हुआ जिसकी सूचना प्रबंधक/लोकेशन हेड, हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा की है। महाप्रबंधक प्रशासनिक विभाग हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा द्वारा पूर्व मे अन्तरण कर भेजी गई आरटीआई आवेदन पत्र के संबंध मे अवगत किया गया है कि मांगी गई सूचना हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा नहीं दी जा सकती है क्योंकि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड प्राईवेट संस्थान है जो कि आरटीआई के दायरे मे नहीं आती है। उक्त कारण को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक प.1( ) सू.अ.05/2018/981 दिनांक 14.12.18 से पत्र प्रेषित करते हुए आवेदन पत्र कार्यालय स्तर पर पत्रित किया गया था। सूचना का अधिकारी, अधिनियम 2005 की धारा 6(1) मे यह व्यवस्था की गई है कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। धारा 6(3) मे यह व्यवस्था है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जो दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है या जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यो से निकटतर रूप से	

कार्यालय जिला कलक्टर

संबंधित है तो वह लोक प्राधिकरण जिसे आवेदन दिया गया है, आवेदन को संबंध लोक प्राधिकरण को अन्तरित कर देगा। धारा 6 की उप–धारा (1) और उप–धारा (3) के प्रावधानों के ध्यानपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम मे यह व्यवस्था की गई है कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपना आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। फिर भी, ऐसे मामले हो सकते है, जिनमें सामान्य समझ वाला व्यक्ति यह माने कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी, जिसको कि उसने आवेदन किया है, जबकि वास्तव मे वह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है। ऐसे मामलों मे आवेदक से गलत लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी आवेदन करने की समझ मे आने वाली गलती होती है। किन्तु जहॉ आवेदक ऐसे लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिए आवेदन दे, जो किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति को मालूम हो कि वह सूचना उस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं है, तो आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को आवेदन भेजने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है। अतः उक्त कारणों को मध्यनजर रखते हुए आपका आवेदन कार्यालय स्तर से पत्रित किया जाता है। इस क्रम में पूर्व मे भी आरटीआई आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना संबंधित को उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय से सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 6(3)(।)(।।) मे आवेदन अन्तरण कर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा को भिजवायी गई है। उनमें भी जवाब के बिन्दु संख्या 02 मे वर्णित अनुसार अंकित आया है एवं उनकी प्रथम अपील इस न्यायालय से निर्णित भी की गई है।

प्रार्थी/अपीलार्थी को सुना गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांकः 14.02.2019 की इस कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित प्रति प्रस्तुत कर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होना जाहिर करते हुए निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 इस कम्पनी पर भी प्रभावी होने से मुझ प्रार्थी को सूचना दिलवायी जावें किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में एवं सुनवाई के दौरान किये गये कथनों की पुष्ठि में राज्य सरकार के स्पष्ट नोटिफिकेशन, आदेश आदि की कोई प्रति पेश नहीं कर केवल मात्र माईनिंग विभाग, उदयपुर द्वारा प्रार्थी को जारी पत्र की प्रति पेश की गयी जो कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के हस्तान्तरण का पत्र मात्र हैं, जिसके आधार पर हिन्दुस्तान जिंक लि0 को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में माना जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है ।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से संबंधित है । सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2 (ज) (अनुच्छेद 6) के अनुसरण में हिन्दुस्तान

जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2018 से स्पष्ट किया गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स एक प्राईवेट संस्थान है जो आर0टी0आई0 के दायरे में नहीं आती है के संबंध में सूचना दिलाया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समुचित नहीं है । प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा भी सुनवाई के दौरान ऐसे कोई ठोस तथ्य व दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता हो कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के दायरे में आती हैं।

अतः प्रथम अपींल प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सारहिन होने एवं इस कार्यालय के श्रवणाधिकार मे नहीं होना पाये जाने से खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)